NOTIFICATION

S.O. 4777 ~~4777~~ In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby directs that subject to his control and until further orders the powers and functions of the State Government under sub-section (1) of section 8 of Employees (Conditions of Servic Act, 1976 (11 of 1976), shall also be exercised and disc- charged by the Administrators of Union Territories (whethe known as Lt. Governor, Chief Commissioner or Administrator in relation to their respective Union Territories.

(U-11030/6/76-UTL)

(H.C.Bakhshi)
Under Secretary to the Govt of I

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi.

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 3 दिसम्बर, 1976

का0आ0 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) और उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों के अनुसरण में निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन और आगे आदेश होने तक, विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) के धारा 8 के उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा भी (चाहे उन्हें उपराज्यपाल मुख्य आयुक्त या प्रशासक जो भी कहा जाता हो) उनके अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत, किया जाएगा ।

/यू0-11030/6/76-यू0टी0एल0/

हरीश चन्द्र बक्शी

(हरीश चन्द्र बक्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली ।

'नवीन'